

26/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ अनुपस्थित।
वकील अपीलार्थ को बार-बार आवाज
दिलाई गई जिससे बावजूद उपस्थित नहीं
हुए। पत्रावली अदम पेंची व अदम हाजरी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश
सुनाया गया।

